



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 178-2016/Ext] CHANDIGARH, WEDNESDAY, NOVEMBER 2, 2016 (KARTIKA 11, 1938 SAKA)

हरियाणा सरकार

परिवहन विभाग

अधिसूचना

दिनांक 2 नवंबर, 2016

संख्या 13/11/2016-1परि0(1).— हरियाणा मोटर यान कराधान नियम, 2016 का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे हरियाणा के राज्यपाल, हरियाणा मोटरयान कराधान अधिनियम, 2016 (2016 का 24) की धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बनाने का प्रस्ताव करते हैं, उक्त धारा द्वारा यथा अपेक्षित, इसके द्वारा, उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है जिनके इससे प्रभावित होने की संभावना है;

इसके द्वारा नोटिस दिया जाता है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से पन्द्रह दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके बाद, सरकार नियमों के प्रारूप पर, ऐसे आक्षेपों तथा सुझावों, यदि कोई हों, सहित, जो सचिव, हरियाणा सरकार, परिवहन विभाग द्वारा नियमों के प्रारूप के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति से इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व लिखित में प्राप्त किए जाएं, विचार करेगी।

प्रारूप नियम

- ये नियम हरियाणा मोटर यान कराधान नियम, 2016, कहे जा सकते हैं। संक्षिप्त नाम।
- (1) इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,— परिभाषाएं।
 - “अधिनियम” से अभिप्राय है, हरियाणा मोटर यान कराधान अधिनियम, 2016 (2016 का 24);
 - “घोषणा तथा अतिरिक्त घोषणा” से अभिप्राय है, अधिनियम की क्रमशः धारा 4 तथा 7 के अधीन दी गई घोषणा तथा अतिरिक्त घोषणा;
 - “प्रारूप” से अभिप्राय है, इन नियमों से संलग्न प्रारूप;
 - “प्रतिनिधि” से अभिप्राय है, वाहन स्वामी द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए अधिनियम के अधीन सशक्त किसी अधिकारी के समक्ष उसकी ओर से पेश होने हेतु लिखित में प्राधिकृत कोई व्यक्ति;
 - “धारा” से अभिप्राय है, इस अधिनियम की धारा;
 - “राज्य” से अभिप्राय है, हरियाणा राज्य;
 - “कराधान अधिकारी” से अभिप्राय है, उसके अपने अधिकार क्षेत्र में सचिव, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण या राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी।

- (2) अधिनियम में प्रयुक्त किन्तु इन नियमों में अपरिभाषित शब्दों तथा अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे जो उन्हें अधिनियम में दिए गए हैं।
- भुगतान की रीति। धारा 3
3. अधिनियम के अधीन देय कर, शास्ति या किसी अन्य राशि का भुगतान या तो ऑनलाईन या बैंक ड्राफ्ट के रूप में या नकदी में या ऐसी अन्य रीति में जो समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए।
- घोषणा की प्रस्तुति। धारा 4
4. (1) प्रत्येक व्यक्ति जो किसी मोटर यान का कब्जा या नियन्त्रण रखता है, प्ररूप I में घोषणा भरेगा, हस्ताक्षर करेगा तथा उसे व्यक्तिगत रूप में या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से अनुज्ञापन अधिकारी को प्रस्तुत करेगा।
(2) प्रत्येक मोटर यान के सम्बन्ध में अलग घोषणा की जाएगी।
- अनुज्ञप्ति जारी करना। धारा 4
5. (1) धारा 4 की उपधारा (2) के अधीन अनुज्ञापन अधिकारी किसी यान के सम्बन्ध में कर के जमा करने पर आवेदक को प्ररूप-II में अनुज्ञप्ति प्रदान करेगा।
(2) आवेदक को प्रदान की गई अनुज्ञप्ति की कार्यालय प्रति स्वयं प्ररूप-II में रखी जाएगी।
(3) मोटर यान के सम्बन्ध में जारी की गई अनुज्ञप्ति मोटर यान में रखी जाएगी और धारा 13 के अधीन राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट अधिकारी को मांगे जाने पर प्रस्तुत की जाएगी।
- डुप्लीकेट अनुज्ञप्ति जारी करना। धारा 25
6. (1) जहां इन नियमों के अधीन जारी की गई अनुज्ञप्ति खो जाती है, नष्ट हो जाती है या अपाठ्य हो जाती है, तो डुप्लीकेट अनुज्ञप्ति मोटर यान के स्वामी द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने पर अनुज्ञापन अधिकारी द्वारा जारी की जाएगी।
(2) किसी ऐसे आवेदन की प्राप्ति पर, अनुज्ञापन अधिकारी उस पर "डुप्लीकेट" शब्द के साथ चिह्नित, प्ररूप-II में डुप्लीकेट अनुज्ञप्ति जारी करेगा।
- अतिरिक्त घोषणा की प्रस्तुति। धारा 7(2)
7. धारा 7 की उपधारा (2) के अधीन अतिरिक्त घोषणा आवेदक द्वारा प्ररूप-III में भरी जाएगी, हस्ताक्षरित की जाएगी और अनुज्ञापन अधिकारी को दी जाएगी।
- त्रुटियों का सुधार। धारा 8(2)
8. अनुज्ञापन अधिकारी किसी भी समय रिकॉर्ड की जांच तथा अनुज्ञप्ति में या कर निर्धारण में किसी लिपिकीय या गणितीय त्रुटि में सुधार कर सकता है:
परन्तु आदेश की तिथि से एक वर्ष के बाद किसी लिपिकीय या गणितीय त्रुटि का सुधार परिवहन आयुक्त, हरियाणा के पूर्व अनुमोदन से किया जाएगा।
- घोषणा करने के लिए नोटिस की तामील। धारा 9
9. अनुज्ञापन अधिकारी, सूचना प्राप्त होने पर कि कोई व्यक्ति अधिनियम के अधीन देय कर का भुगतान किए बिना राज्य में मोटर यान उपयोग कर रहा है या रख रहा है, तो उसे प्ररूप-IV में नोटिस तामील करेगा तथा प्ररूप-I या प्ररूप-III, जैसी भी स्थिति हो, में उससे घोषणा भरने, हस्ताक्षर करने तथा देने के लिए अपेक्षा करेगा।
- प्रतिभूति प्रस्तुत करना। धारा 11
10. (1) धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन प्रतिभूति अनुज्ञापन अधिकारी की संतुष्टि के लिए नोटरी पब्लिक द्वारा सम्यक:1 से अनुप्रमाणित प्रतिभूति बन्धपत्र के रूप में जमा करवाई जाएगी।
(2) जहां मोटर यान के स्वामी द्वारा प्रस्तुत प्रतिभूति धारा 11 की उपधारा (3) के अधीन आदेश के कारण से अपर्याप्त हो जाती है, वहां मोटर यान का स्वामी अधिनियम के अधीन बकाया कर की राशि या अन्य कोई देय राशि सात दिन की अवधि के भीतर नकदी में जमा करवाएगा।
- निवास या कारबार के स्थान में परिवर्तन। धारा 25
11. यदि मोटर यान का स्वामी अनुज्ञापन अधिकारी के पास अभिलिखित पते पर रहना बन्द कर देता है या अपने कारबार का स्थान बदलना चाहता है, तो वह ऐसा करने के तीस दिन के भीतर अनुज्ञापन अधिकारी को अपना नया पता सूचित करेगा या यदि नया पता उस अनुज्ञापन अधिकारी की अधिकारिता क्षेत्र से बाहर है, तो बदले हुए स्थान के अनुज्ञापन अधिकारी को सूचित करेगा।
- अनुज्ञापन अधिकारी के समक्ष मोटर यान प्रस्तुत करना। धारा 3
12. कर के निर्धारण के प्रयोजन के लिए, अनुज्ञापन अधिकारी निरीक्षण के लिए उसके समक्ष मोटर यान प्रस्तुत करने के लिए मोटर यान के स्वामी से अपेक्षा कर सकता है।
- नोटिस/आदेशों की तामील की रीति। धारा 25
13. अधिनियम के अधीन तामील करवाए जाने वाले प्रत्येक नोटिस/आदेश की निम्नानुसार तामील करवाई जाएगी:-

- (क) उसकी प्रति उस व्यक्ति को जिसे यह तामील किया जाना है या उसके साथ रहने वाले उसके परिवार के किसी व्यस्क पुरुष सदस्य या उसके प्रतिनिधि, यदि कोई हो, जो तामील स्वीकृत करने के लिए सशक्त हो, को प्रस्तुत करते हुए या देते हुए; या
- (ख) उस व्यक्ति को जिसे यह तामील किया जाना है, उसके पिछले ज्ञात पते पर पंजीकृत डाक द्वारा उसे भेजते हुए; या
- (ग) यदि उपरोक्त दोनों ढंग अव्यावहारिक माने जाते हैं, तो उसके पिछले ज्ञात निवास या जहां वह कारबार करता है, के किसी सहजदृश्य भाग पर उसे चिपकाते हुए; या
- (घ) ऐसे अन्य रीति में जो राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करे।

14. (1) मोटर वाहन का स्वामी प्ररूप V में कराधान अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी को ऐसे स्वामी के स्वामित्वाधीन वाहन(वाहनों) के सम्बन्ध में अधिनियम के अधीन देय राशि से अधिक उस द्वारा भुगतान की गई कर की राशि या शास्ति की वापसी के लिए ऐसी राशि के भुगतान के छह माह के भीतर ऐसे वाहन(वाहनों) के सम्बन्ध में बकाया करों के भुगतान का ब्यौरा देते हुए आवेदन करेगा।

कर की वापसी।
धारा 24

(2) यदि इन नियमों के अधीन एकमुश्त कर के भुगतान का विकल्प रखने वाला वाहन स्वामी मोटर वाहन के पूरी तरह क्षतिग्रस्त जो उसे प्रयुक्त करने में अक्षम कर दे, की दशा में या चोरी हुए लापता वाहनों की दशा में कराधान अधिकारी को कर की वापसी हेतु आवेदन करता है, तो कराधान अधिकारी स्वयं को संतुष्ट करने उपरान्त कि मोटर वाहन दावे की अवधि के दौरान संचालित नहीं हुआ है, एकमुश्त कर के भुगतान में यथानुपात राहत प्रदान करेगा।

(3) यदि कराधान अधिकारी संतुष्ट हो जाता है कि मोटर वाहन स्वामी द्वारा अधिनियम के अधीन शास्ति सहित देय कर, यदि कोई हो, से अधिक कर का भुगतान किया गया है तथा दावा निर्धारित अवधि के भीतर प्रस्तुत किया गया है तथा ऐसे वाहन(वाहनों) के सम्बन्ध में बकाया करों का भुगतान किया गया है, तो वह राशि की वापसी के लिए आदेश पारित करेगा तथा प्ररूप VI में वापसी भुगतान आदेश जारी करेगा:

परन्तु कर की वापसी नहीं होगी, यदि वाहन का पंजीकरण प्रमाण-पत्र मोटर यान अधिनियम 1988(1988 का केन्द्रीय अधिनियम 59), की धारा 53 (1)(ख) तथा 54 के अधीन निलम्बित/रद्द किया गया हो तथा परमिट उक्त अधिनियम की धारा 86 के अधीन निलम्बित/रद्द किया गया हो।

15. प्ररूप VI में जारी किए गए वापसी आदेश में वर्णित की गई राशि का भुगतान आवेदन में वर्णित किए गए स्वामी के खाते में ई-बिलिंग का अनुसरण करते हुए किया जाएगा।

वापसी भुगतान
धारा 24।

16. कराधान अधिकारी कर की वापसी का रजिस्टर प्ररूप VII में रखेगा तथा प्रत्येक राशि जिसके लिए प्ररूप VI में वापसी आदेश जारी किया गया है, ऐसे रजिस्टर में दर्ज की जाएगी।

वापसी का
रजिस्टर।

17. हरियाणा मोटर यान कराधान नियम, 2014, इसके द्वारा निरस्त किए जाते हैं:

निरसन तथा
व्यावृत्ति।

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन जारी किया गया कोई आदेश या की गई कोई कार्यवाही इन नियमों के तत्सम, उपबंधों के अधीन जारी किया गया आदेश या की गई कार्यवाही समझी जाएगी।

प्ररूप I

[देखिए नियम 4(1) तथा 9]

घोषणा

मैं, इसके द्वारा मोटर यान के सम्बन्ध में देय कर तथा/शास्ति के रूप में नकद/डिमांड ड्राफ्ट संख्या..... दिनांक...../ई-भुगतान रसीद संख्या..... दिनांकके रूप में निविदा भरता हूँ, जिनका ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

1. मोटर यान की किस्म* : _____
2. पंजीकरण चिह्न : _____
3. चेसिस संख्या : _____
4. निर्माता का नाम : _____
5. विनिर्माण वर्ष : _____
6. चालक को छोड़कर बैठने की क्षमता : _____
7. सकल यान भार : _____
8. यान की लागत (₹) : _____
9. परमिट संख्या : _____
10. परमिट की वैधता (दिनांक) तक : _____
11. फिटनेस प्रमाण पत्र की वैधता (दिनांक) तक : _____
12. तिथि जिस से मोटर यान हरियाणा में उपयोग के लिए रखा जा रहा है : _____
13. तिथि सहित जमा कर की राशि (₹) : _____
14. तिथि सहित जमा करवाई गई शास्ति की राशि (₹) : _____

मैं, इसके द्वारा घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त ब्यौरे सत्य हैं।

दिनांक:

घोषक के हस्ताक्षर

नाम.....

पता.....

(कार्यालय प्रयोग के लिए)

मोटर यान पर कर ₹..... निर्धारित किया गया है।

शास्ति की राशि ₹..... है।

दिनांक:

अनुज्ञापन अधिकारी

* यान निजी उपयोग/माल वाहक/संविदा वाहन/मंजिली गाड़ी/निजी सेवा यान/शैक्षिक संस्था यान/निर्माण उपकरण यान/यान की कोई अन्य किस्म।

प्ररूप II*[देखिए नियम 4(1) तथा (2) तथा 6(2)]***अनुज्ञप्ति**

चूँकि, श्री/श्रीमती ने नीचे ब्यौरों के अनुसार कर का भुगतान कर दिया है, उसे (दिनांक) तक हरियाणा राज्य की सीमाओं के भीतर उक्त मोटर यान को प्रयोग के लिए रखने की अनुमति दी जाती है:-

मोटर वाहन का पंजीकरण चिह्न	:	_____
भुगतान किए गए कर की राशि (₹)	:	_____
भुगतान का ढंग	:	_____
कर भुगतान की तिथि	:	_____
रसीद संख्या	:	_____

दिनांक :

जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर
और मोहर

प्ररूप III

[देखिए नियम 7 तथा 9]

अतिरिक्त घोषणा

मैं, इसके द्वारा घोषणा करता हूँ कि मैंने नीचे वर्णित रीति में मोटर यान में परिवर्तन/मोटर यान के प्रयोग के लिए प्रस्ताव किया है, जिसके द्वारा हरियाणा मोटर यान कराधान अधिनियम, 2016(2016 का 24) की धारा 7(1) के अधीन कर की उच्चतर दर के लिए दायी बना दिया है। उक्त मोटर यान के सम्बन्ध में प्रदान की गई अनुज्ञप्ति को इसके द्वारा समर्पित किया जाता है/नष्ट कर दिया गया है।

मैं, इसके द्वारा उक्त मोटर यान के सम्बन्ध में देय अतिरिक्त कर के रूप में नकद में/डिमांड ड्राफ्ट संख्या..... दिनांक /ई-भुगतान रसीद संख्या दिनांक के रूप में निविदा ₹ देता हूँ जिनका ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

- | | | |
|--|---|-------|
| 1. पंजीकरण चिन्ह | : | _____ |
| 2. भुगतान कर (दिनांक) तक | : | _____ |
| 3. देय कर की राशि (₹) | : | _____ |
| 4. मोटर यान में किया गया परिवर्तन | : | _____ |
| 5. रीति जिसमें यान प्रयोग किया जाना प्रस्तावित है अर्थात् गैर-परिवहन या परिवहन वाहन। | : | _____ |
| 6. उच्चतर दर पर कर का भुगतान करने के लिए दायी बनाने हेतु यान के प्रयोग में परिवर्तन/ बदलाव की तिथि | : | _____ |
| 7. उच्च दर पर लागू कर की राशि | : | _____ |
| 8. भुगतान अतिरिक्त कर (7-3) (₹) | : | _____ |

मैं, इसके द्वारा घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त ब्यौरे सत्य हैं।

दिनांक:

घोषक के हस्ताक्षर

नाम.....

पता.....

(कार्यालय प्रयोग के लिए)

मोटर यान पर अतिरिक्त कर ₹..... निर्धारित किया गया है।

दिनांक:

अनुज्ञापन अधिकारी

प्ररूप IV
(देखिए नियम 9)
नोटिस

सेवा में

.....
.....

नोटिस लें कि आपको इसके द्वारा आपके द्वारा प्रयोग हेतु रखे गये मोटर यान के सम्बन्ध में प्ररूप-I/प्ररूप-III में घोषणा भरना, हस्ताक्षर करना तथा अधोहस्ताक्षरी को भरकर देना और इस नोटिस की तामील की तिथि से 14 दिन की समाप्ति से पहले हरियाणा मोटर यान कराधान अधिनियम, 2016 (2016 का 24) के अधीन प्रत्येक ऐसे यान पर देय कर/अतिरिक्त कर का भुगतान करना आवश्यक है।

कर का भुगतान करने में असफल होने पर हरियाणा मोटर यान कराधान अधिनियम, 2016 (2016 का 24) की धारा 10 के अधीन शास्ति और धारा 21 के अधीन दोषसिद्धि पर जुर्माना सम्मिलित है।

अनुज्ञापन अधिकारी के हस्ताक्षर

प्ररूप V

[देखिए नियम 14(1)]

कर की वापसी के लिए प्रार्थना-पत्र

मैं, निवासी मोटर यान(नो) पंजीकरण चिन्ह
 का मालिक दिनांक से तक इस वाहन के दिनांक से तक
 जमा करवाए गए कर की वापसी के लिए निम्नलिखित कारणों से कर वापसी के लिए कर का दावा करता/करती हूँ।

- (1)
 (2)
 (3)
 (4)

मेरे बैंक का विवरण निम्नप्रकार से है :-

- (i) खाता संख्या
 (ii) बैंक का नाम तथा शाखा का पता
 (iii) IFSC/MICR कोड
 (iv) PAN संख्या

दिनांक :

प्रार्थी के हस्ताक्षर

प्ररूप VI

[देखिए नियम 14(3), 15 तथा 16]

वापसी आदेश

चूंकि, श्री/श्रीमती ने वाहन के संदर्भ में कर की वापसी हेतु आवेदन किया है जिसका ब्योरा नीचे दिया गया है:-

वाहन स्वामी का नाम	:	_____
दावा जमा करने की तिथि	:	_____
मोटर वाहन का पंजीकरण चिन्ह	:	_____
कर की राशि	:	_____
शास्ति की राशि, यदि कोई हो	:	_____
भुगतान किए जाने वाले कर की राशि (₹)	:	_____
वास्तव में भुगतान किया गया कर	:	_____
रसीद संख्या	:	_____
कर या शास्ति का अधिक भुगतान	:	_____

मैं, वाहन मालिक द्वारा प्रस्तुत आवेदन व प्रासंगिक रिकार्ड के अवलोकन से यह पुष्टि करता हूं कि इस अधिनियम के अधीन वाहन स्वामी द्वारा देय राशि से अधिक कर या शास्ति जमा करवाई है तथा मोटर यान अधिनियम, 1988(1988 का केन्द्रीय अधिनियम 59) के प्रावधान अनुसार इस वाहन का पंजीकरण प्रमाण पत्र/परमिट निलम्बित/निरस्त नहीं किया गया है, अधिक कर की राशि रुपये की वापसी के आदेश श्री/श्रीमती वाहन संख्या के मालिक को करता हूं

दिनांक :

कराधान अधिकारी के हस्ताक्षर
और मोहर

प्ररूप VII

[देखिए नियम 16]

वापसी आदेश का रजिस्टर

वापसी आदेश क्रमांक	दिनांक
वाहन स्वामी का नाम	: _____
दावा प्रस्तुत करने की तिथि	: _____
मोटर वाहन का पंजीकरण चिह्न	: _____
कर की राशि	: _____
शास्ति की राशि, यदि कोई हो	: _____
भुगतान किए जाने वाले कर की कुल राशि (₹)	: _____
वास्तव में भुगतान किये गये कर की राशि	: _____
रसीद संख्या	: _____
कर या शास्ति का अधिक भुगतान की राशि	: _____
वापसी की गई शुद्ध राशि	: _____
बिल / वाउचर क्रमांक व दिनांक	: _____

दिनांक :

कराधान अधिकारी के हस्ताक्षर
और मोहर

चण्डीगढ़:

दिनांक:

एस० एस० ढिल्लों,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
परिवहन विभाग।

HARYANA GOVERNMENT
TRANSPORT DEPARTMENT

Notification

The 2nd November, 2016

No. 13/11/2016-1T(1).— The following draft of the Haryana Motor Vehicles Taxation Rules, 2016 which the Governor of Haryana proposes to make in exercise of the powers conferred by Section 25 of the Haryana Motor Vehicles Taxation Act, 2016 (24 of 2016) is hereby published as required by the said section for the information of persons likely to be affected thereby;

Notice is hereby given that the draft of the rules shall be taken into consideration by the Government on or after the expiry of a period of fifteen days from the date of publication of this notification in the Official Gazette together with objections and suggestions, if any, which may be received by the Secretary to Government Haryana, Transport Department, from any person, in writing, in respect of the draft of the rules before the expiry of the period so specified.

Draft Rules

- | | | |
|----|---|--|
| 1. | These rules may be called the Haryana Motor Vehicles Taxation Rules, 2016. | Short title. |
| 2. | <p>(1) In these rules, unless the context otherwise requires,—</p> <p>(a) “Act” means the Haryana Motor Vehicles Taxation Act, 2016 (24 of 2016);</p> <p>(b) “declaration and additional declaration” means a declaration and additional declaration delivered under Section 4 and 7 respectively of the Act;</p> <p>(c) “Form” means a Form appended to these rules;</p> <p>(d) “section” means a section of the Act;</p> <p>(e) “State” means the State of Haryana;</p> <p>(f) “Taxation Officer” means Secretary, Regional Transport Authority in his respective jurisdiction or any other officer authorized by the State Government in this regard;</p> <p>(g) “representative” means a person authorized in writing by an owner of the vehicle to appear on his behalf before any officer empowered under the Act to carry out the purposes of the Act.</p> <p>(2) Words and expressions used in the Act but not defined in these rules shall have the same meaning as assigned to them in the Act.</p> | Definitions. |
| 3. | The tax, penalty or any other amount payable under the Act shall be either paid online or by way of bank draft or in cash or in such other manner, as may be specified by the State Government, from time to time. | Manner of payment.
section 3. |
| 4. | <p>(1) Every person who keeps possession or control of motor vehicle shall fill up, sign and deliver the declaration in Form I in person or through his representative to the licensing officer.</p> <p>(2) A separate declaration shall be made in respect of every motor vehicle.</p> | Presentation of declaration.
section 4. |
| 5. | <p>(1) The licensing officer, on depositing of the tax in respect of a vehicle under Sub-section (2) of Section 4 shall grant the licence in Form II, to the applicant.</p> <p>(2) The office copy of the licence granted to the applicant shall be retained in Form II itself.</p> <p>(3) A licence issued in respect of a motor vehicle shall be kept in the motor vehicle and presented, on demand, to the officer specified by the State Government under Section 13.</p> | Issue of licence.
section 4. |
| 6. | <p>(1) Where the licence issued under these rules is lost, destroyed or become illegible; a duplicate licence shall be issued by the licensing officer on submission of an application by the owner of the motor vehicle.</p> <p>(2) On receipt of any such application, the licensing officer shall issue a duplicate licence in Form II, marked with the word ‘DUPLICATE’ across it.</p> | Issue of duplicate licence.
section 25 |

- Presentation of additional declaration. section 7.
- 7.** The additional declaration under Sub-section (2) of Section 7 shall be filled up, signed and delivered by the applicant, in Form III to the licensing officer.
- Rectification of errors. section 8
- 8.** The licensing officer may, at any time, examine the record and rectify any clerical or arithmetical error in the licence or determination of tax:
 Provided that rectification of any clerical or arithmetical error after one year from the date of order shall be made with the prior approval of the Transport Commissioner, Haryana.
- Service of notice to make declaration. section 9.
- 9.** The licensing officer, on receiving information that any person is using or keeping a motor vehicle in the State without payment of tax due under the Act, shall serve upon him a notice in Form IV requiring him to fill up, sign and deliver the declaration in Form I or Form III, as the case may be.
- Furnishing of security. section 11.
- 10.** (1) The security under Sub-section(1) of Section 11 shall be deposited in the form of a surety bond, duly attested by a notary public, to the satisfaction of the licensing officer.
 (2) Where the security furnished by the owner of the motor vehicle is rendered insufficient by reason of an order under Sub-section (3) of Section 11, the owner of the motor vehicle shall deposit the amount of balance tax or any other amount due under the Act in cash within a period of seven days.
- Change of residence or place of business. section 25.
- 11.** If the owner of a motor vehicle ceases to reside or wants to have his place of business as recorded with the licensing officer changed, he shall within thirty days of doing so, intimate his new address to the licensing officer or if the new address is outside the jurisdiction of that licensing officer to the licensing officer of the place to which he has subsequently moved.
- Production of motor vehicle before Licensing Officer. section 3.
- 12.** For the purpose of assessing the tax, the licensing officer may require the owner of a motor vehicle to produce the motor vehicle before him for inspection.
- Manner of service of notice/orders. section 25.
- 13.** Every notice/order to be served under the Act shall be served –
 (a) by tendering or delivering a copy thereof to the person on whom it is to be served or any adult male member of his family residing with him or his representative, if any, empowered to adopt service; or
 (b) by sending it by registered post at the last known address of the person on whom it is to be served; or
 (c) by affixing it on some conspicuous part of his last known residence or where he carries on business in case the above two methods are considered impracticable; or
 (d) in such other manner, as the State Government may specify.
- Refund of tax section 24.
- 14.** (1) The owner of the motor vehicle shall apply in Form V to the Taxation Officer or any other officer authorized by the State Government for refund of the amount of tax or penalty paid by such owner in respect of the vehicle owned by him in excess of the amount due from him under the Act within six months of the payment of the such amount setting forth the details of clearance of arrears of taxes in respect of such vehicle.
 (2) When the owner of a motor vehicle opted to pay tax in lump-sum under these rules applies to the Taxation Officer for the refund of the tax in the event of total damage of the motor vehicle rendering the same incapable of being use or in case of untraceable stolen vehicles, the Taxation Officer after satisfying himself that the motor vehicle did not ply during the claimed period shall grant prorata relief in the payment of lump-sum tax.
 (3) If the Taxation Officer is satisfied that the payment of tax made by the owner of the motor vehicle is in excess of the tax due along with penalty, if any, and the claim has been made within the stipulated period and the arrears of the taxes in respect of such vehicle are cleared, he shall pass an order for refund of the amount and shall issue a refund order in Form VI :
 Provided that the tax shall not be refunded, if the Registration Certificate of the vehicle has been suspended/cancelled under Section 53(1)(b) and 54 of the Motor Vehicles Act, 1988(Act 59 of 1988) and permit has been suspended/cancelled under Section 86 of the said Act.

-
- 15.** The payment of the amount mentioned in the refund order issued in Form VI shall be credited in the account of the owner mentioned in the application after following the e-billing procedure. Payment of refund, section 24.
- 16.** The Taxation Officer shall maintain a register in Form VII of refunds of the tax and every amount for which a refund order in Form VI has been issued shall be entered in such register. Register of refunds.
- 17.** (1) The Haryana Motor Vehicles Taxation Rules, 2014 are hereby repealed. Repeal & Saving.
(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the said rules shall be deemed to have been done or taken under these rules.

FORM I
(see rule 4(1) and 9)
DECLARATION

I hereby tender ₹ _____ in cash/by way of demand draft No. _____/vide e-payment receipt No. _____ as the tax due and/penalty in respect of the motor vehicle, the particulars of which are given below:—

- | | | | |
|-----|---|---|-------|
| 1. | Type of motor vehicle * | : | _____ |
| 2. | Registration mark | : | _____ |
| 3. | Chassis No. | : | _____ |
| 4. | Manufacturer's name | : | _____ |
| 5. | Year of manufacture | : | _____ |
| 6. | Seating capacity excluding driver | : | _____ |
| 7. | Gross vehicle weight | : | _____ |
| 8. | Cost of vehicle (₹) | : | _____ |
| 9. | Permit No. | : | _____ |
| 10. | Permit valid upto (date) | : | _____ |
| 11. | Certificate of fitness valid upto (date) | : | _____ |
| 12. | Date from which the motor vehicle
is being kept for use in Haryana | : | _____ |
| 13. | Amount of tax deposit (₹) with date | : | _____ |
| 14. | Amount of penalty deposited (₹) with date | : | _____ |

I hereby declare that the above particulars are true.

Date :

Signature of the declarant

Name _____

Address _____

(For official use)

The tax on the motor vehicle has been assessed at ₹ _____.

The amount of penalty imposed is ₹ _____.

Date

Licensing Officer

* Vehicle for personal use/goods carriage/contract carriage/stage carriage/private service vehicle/ educational institution vehicle/construction equipment vehicle/ any other type of vehicle.

FORM II*(see rule 4(1) and (2) and 6(2))***LICENCE**

Whereas, Sh./Ms. _____ has paid the tax as per the details below, he/she is permitted to keep for use the said motor vehicle within the limits of the State of Haryana upto _____ (date).

Registration mark of the motor vehicle : _____
Amount of tax paid (₹) : _____
Mode of payment : _____
Date of payment of tax : _____
Receipt number : _____

Date _____

Signature and seal of Issuing Officer

FORM III*(see rule 7 and 9)***ADDITIONAL DECLARATION**

I hereby declare that I have made the alteration in the motor vehicle/propose to use the motor vehicle in the manner described below, thereby making it liable to a higher rate of tax under Section 7(1) of the Haryana Motor Vehicles Taxation Act, 2016(24 of 2016). The Licence granted in respect of the said motor vehicle is hereby surrendered/has been destroyed.

I hereby tender ₹ _____ in cash/by way of demand draft No. _____ / vide e-payment receipt No. _____ as the additional tax due in respect of the said motor vehicle, the particulars of which are given below:—

1. Registration mark : _____
2. Tax paid upto (date) : _____
3. Amount of tax paid (₹) : _____
4. Alteration made in motor vehicle : _____
5. Manner in which the vehicle is : _____
proposed to be used *i.e.* non-transport or
transport vehicle.
6. Date of alteration/change in the use of : _____
vehicle making it liable to pay the tax at
higher rate.
7. Amount of tax at the applicable higher rate : _____ (₹)
8. Additional tax paid (7-3) (₹) : _____

I hereby declare that the above particulars are true.

Date :

Signature of the declarant

Name _____

Address _____

(For official use)

The additional tax on the motor vehicle has been assessed at ₹ _____.

Date

Licensing Officer

FORM IV*(see rule 9)***NOTICE**To

Take notice that you are hereby required to fill up, sign and deliver to the undersigned the declaration in FORM-I/FORM-III in respect of motor vehicle kept by you for use, and to pay the tax/additional tax due under the Haryana Motor Vehicles Taxation Act, 2016(24 of 2016) on such vehicle before the expiration of fourteen (14) days from the date of service of this notice.

Failure to pay the tax involves a penalty under Section 10 and fine, on conviction, under Section 21 of the Haryana Motor Vehicles Taxation Act, 2016(24 of 2016).

Dated:

Signature of Licensing Officer.

FORM V*(see rule 14(1))***Application for refund of tax**

To

Taxation Officer,

I, _____ residing at _____ owner of motor vehicle(s) bearing registration mark No. _____ having paid the tax on the said vehicle for the period from _____ to _____ on _____ vide receipt/GR number _____ hereby claim a refund of tax in respect of the period from _____ to _____ (onwards) on the following grounds :—

- (1) _____
- (2) _____
- (3) _____
- (4) _____

The details of my bank account are as under: -

- (i) Account Number _____
- (ii) Name of Bank and branch address _____
- (iii) IFSC/MICR Code-----
- (iv) PAN Number-----

Date:

Signature of applicant.

FORM VI*(see rule 14(3), 15 and 16)***Refund Order**

Whereas, Sh./Smt. _____ has applied for the refund of the tax in respect of the vehicle, the details of which are given below:-

Name of the owner of the vehicle	:	_____
Date of submission of claim	:	_____
Registration mark of the motor vehicle	:	_____
Amount of tax	:	_____
Amount of penalty, if any	:	_____
Total amount of tax to be paid	:	_____
Amount of tax actually paid	:	_____
Receipt No.	:	_____
Excess amount of tax or penalty paid	:	_____

I, after having confirmed from the perusal of the relevant record and the application submitted by the vehicle owner, that a tax or penalty has been paid in excess of the amount due from the vehicle owner under this act and the Registration Certificate/Permit of the said vehicle has not been suspended/cancelled under the provisions of the Motor Vehicles Act, 1988(Act 59 of 1988), order the refund of the excess tax amount to Rs. _____ to Sh./Smt. _____ owner of vehicle No. _____.

Dated:

Signature and Seal of Taxation Officer.

FORM VII*(see rule 16)***Register of Refund Order**

Refund order No. _____

Dated: _____

Name of the owner of the vehicle	:	_____
Date of submission of claim	:	_____
Registration mark of the motor vehicle	:	_____
Amount of tax	:	_____
Amount of penalty, if any	:	_____
Total amount of tax to be paid	:	_____
Amount of tax actually paid	:	_____
Receipt No.	:	_____
Excess amount of tax or penalty paid	:	_____
Net amount refunded	:	_____
Bill/Voucher No. and date	:	_____

Dated:

Signature of Taxation Officer.

S. S. DHILLON,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Transport Department.